



उत्तर प्रदेश पुलिस - यातायात निदेशालय
नोटिस
(अन्तर्गत धारा 133 मोटर वाहन अधिनियम 1988)



सेवा में,
M/S OLA FLEET
TECHNOLOGIES
PVT



वाहन संख्या: **HR55AB1968**
वाहन अवधि:
वाहन श्रेणी: **Motor Cab**

इंजन संख्या:
चेसिस संख्या:
वाहन स्वामी का नाम: **M/S OLA FLEET TECHNOLOGIES PVT**
वाहन स्वामी के पिता का नाम: **NA**
वाहन स्वामी का पता: **PLOT NO-86, UDYOG VIHAR PH-1, Gurgaon-122001**

वाहन पंजीयन की
वैधता अवधि:
वाहन स्वामी का मोबाइल: **8745086318**

यातायात नियमों के उल्लंघन का विवरण

चालान संख्या: **UP2297190126115635**

तिथि / समय	स्थान	उल्लंघन का विवरण	शमन शुल्क (रु.)
26-01-2019 11:56:35	H15, H Block, Sector 63, Noida, Uttar Pradesh 201301, India	1: Four wheeler driver and front seat passenger not using seat belts (MV act 1989 rule 138 (3) R/W MV act 1988 S 177)	100/-

उपलब्ध अभिलेखों में उक्त वाहन का स्वामित्व आपको प्रदर्शित है। अतः एव इस नोटिस के माध्यम से वाहन द्वारा किये गए यातायात नियमों के उल्लंघन का विवरण मय साक्ष्य इस आशय से प्रेषित है कि यातायात नियमों के उल्लंघन सम्बंधित आरोपों की स्वीकारोक्ति की दशा में निर्धारित शमन प्रक्रिया का अनुसरण कर 15 दिन के अन्दर शमन कराये। अन्यथा प्रकरण सक्षम न्यायालय के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

शमन शुल्क का भुगतान आप इन माध्यमों द्वारा कर सकते हैं -

- 1 ऑनलाइन: <HTTPS://www.traffic.uppolice.gov.in> (<HTTPS://www.traffic.uppolice.gov.in/>)
- 2 मोबाइल:
- 3 स्थानीय भुगतान केन्द्र: Ghaziabad

सौजन्य से,
प्रभारी, यातायात प्रवर्तन केन्द्र
जिला :

प्रभारी यातायात प्रवर्तन केन्द्र
उत्तर प्रदेश - गाँधी नगर